न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 336/2024
अनवान : –

1. रसीद खां पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गीता पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/66 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि तथा खाता संख्या 106/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 215/97 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 215/97 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 5/2 की 0.2280 है0 में से मिन पूर्व की 0.052 है0 भूमि व प0 नं0 327/440 (118) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादी काबिज है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 106/106 के कुल खसरे 2 की 0.2530 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/66 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि जो कि वादी के नाम दर्ज है में से प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 6 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0, किला नं. 15 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0 किला नं. 16/2 की 0.2400 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0, एवं मि[illegible] की 0.011 है0 व इसी किला की मिन दक्षिण पूर्वी कोना की 0.002 है0 भूमि [illegible] भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज क[illegible]ने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा खाता व लगान अलग करवाना चाहते है प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/66 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि तथा खाता संख्या 106/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/... कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादी का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लगान अलग करवाना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 215/97 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 5/2 की 0.2280 है0 में से मिन पूर्व की 0.052 है0 भूमि व प0 नं0 327/440 (118) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के खाता संख्या 213 में शामिल की जावे एवं रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 106/106 के कुल खसरे 2 की 0.2530 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 215 में शामिल की जावे एवं रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/66 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि जो कि वादी के नाम दर्ज है में से प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 6 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0, किला नं. 15 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0 किला नं. 16/2 की 0.2400 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0. 013 है0, एवं मिन दक्षिण की 0.011 है0 व इसी किला की मिन दक्षिण पूर्वी कोना की 0.002 है0 भूमि को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करते हुए वादी की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 215 में सम्मिलित की जावे । यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/5/24 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:59 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 336/2024
अनवान : –

1. रसीद खां पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गीता पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 336 सन 2024 निर्णय दिनांक – 24/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 215/97 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 5/2 की 0.2280 है0 में से मिन पूर्व की 0.052 है0 भूमि व प0 नं0 327/440 (118) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के खाता संख्या 213 में शामिल की जावे एवं रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 106/106 के कुल खसरे 2 की 0.2530 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 215 में शामिल की जावे एवं रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 213/66 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि जो कि वादी के नाम दर्ज है में से प0 नं0 326/440 (119) के किला नं. 6 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0, किला नं. 15 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0 किला नं. 16/2 की 0.2400 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.013 है0, एवं मिन दक्षिण की 0.011 है0 व इसी किला की मिन दक्षिण पूर्वी कोना की 0.002 है0 भूमि को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करते हुए वादी की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 215 में सम्मिलित की जावे । यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:59 IST
Reason: SelfAttested